ऑर्गन ट्रांसप्लांट की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में तीन मामलों की एन.ओ.सी.जारी की

एक मामला मणिपाल हॉस्पिटल का होने के कारण उसे एन.ओ.सी. जारी नहीं की जा सकी

- फर्जी एनओसी मामले में जांच के लिए एसआईटी के गठन को लेकर चिकित्सा विभाग ने विधिक सलाह ली
- प्रदेश में एक से अधिक प्राधिकृत अधिकारी बनाने पर भी विचार किया जा रहा ताकि जांच के दायरे को बढ़ाया जा सकें।
- गुरूग्राम से प्रोडेक्शन वारंट पर गिरफ्तार चारों आरोपियों से अन्य दलालों के बारे में पूछताछ की गई

जयपुर। मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी के मामले में जांच के लिए एसआईटी के गठन को लेकर चिकित्सा विभाग ने विधिक सलाह ली है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कुछ विधिक अड़चने आने के कारण मामले में एसआईटी के गठन बजाए अन्य विकल्प देखने होंगे। विधिक राय में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का जिक्र किया गया है। वहीं राजस्थान में एक से अधिक प्राधिकृत अधिकारी बनाने पर भी विचार किया जा रहा ताकि जांच के दायरे को बढ़ाया जा सकें। उधर आज जयपुर में हुई ऑर्गन ट्रांसप्लांट की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में तीन मामलों को एनओसी जारी की गई।

उधर गुरूवार एसएमएस अस्पताल के कॉन्फ्रेंस हॉल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कमेटी के अध्यक्ष एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल डॉ. राजीव बगरहट्टा, अस्पताल अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा सहित कमेटी के अन्य सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी के लिए आए पांच मामलों पर विचार विर्मश किया गया। इनमें से तीन को अप्रूवल दे दी गई। वहीं दो मामलों को विचारधीन रखा गया। इनमें एक मामला मणिपाल हॉस्पिटल का था। बुधवार को अस्पताल को लाइसेंस सस्पेंड होने के कारण संबंधि मरीज के परिजनों को ट्रांसप्लांट के लिए किसी दूसरे अस्पताल से संपर्क करने की सलाह दी गई। वहीं दूसरे मामले में मरीज के दस्तावेज पूरे नहीं होने पर पूरी कागजी कार्रवाई कर अगली बैठक में बुलाया गया है।

वहीं दूसरी ओर मामले की जांच कर रही जयपुर पुलिस गुरूग्राम से गिरफ्तार कर प्रोडेक्शन वारंट पर लिए चारों आरोपी नुरुल इस्लाम, मेहंदी हसन, मोहम्मद अहसानुल और मोहम्मद आज़ाद हुसैन से पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस ने मामले में लिप्त अन्य दलालों और जयपुर के अस्पतालों की भूमिका के बारे में पूछताछ की। पुलिस की ओर से अब शुक्रवार को इन आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन आरोपियों ने हरियाणा पुलिस को जांच में बताया कि इस गिरोह में रांची निवासी मुर्तजा अंसारी सहित कई दलाल शामिल है। जिन्होंने इन्हें अंग बेचने का लालच दिया। जिसके बाद इन्हें पासपोर्ट बनाकर कोलकात्ता, गुरुग्राम या अन्य शहरों में लाया गया और जयपुर के अस्पतालों में इनके अंग निकाले गए। वहीं पुलिस इस गिरोह में शामिल फरार दलालों की भी तलाश कर रही है। इससे पहले चिकित्सा विभाग ने बुधवार को जयपुर के माणिपाल हॉस्पिटल पर कार्रवाई करते हुए उसका रजिस्ट्रेशन निलम्बित कर दिया है।फोट्सि और ईएचसीसी अस्पताल के बाद मणिपाल तीसरा हॉस्पिटल है जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

अंग प्रत्यारोपण प्रकरण की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाया जाना जरूरी : सराफ

जयपुर। पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सराफ ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर अंग प्रत्यारोपण में फर्जी एनओसी प्रकरण की एन आई ए से जांच करवाने की मांग की है। सराफ ने अपने पत्र में लिखा है कि फर्जी एनओसी प्रकरण में देश के कई राज्यों में विदेशी दलालों का गिरोह सक्रिय है जिससे राज्य में पकड़े गए लोग भी जुड़े हुए हैं। राज्य की पुलिस व एसीबी केवल छोटी मछलियों को पकड़ सकी है तथा मामला उजागर होने के पश्चात उक्त एजेंसियां केवल रिकॉर्ड खंगाल रही है। सराफ ने पत्र में यह भी लिखा है की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक विगत 3 साल से नहीं हुई है किंतु एसएमएस अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट होते रहे हैं यह जानकारी राज्य स्तरीय समिति के जिम्मेदार अधिकारियों को भी थी इससे साबित होता है कि उक्त कार्य इनकी मिलीभगत के बिना यह कार्य नहीं हो सकता है।

जल भवन में पक्षियों के लिए लगाए परिंडे

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि तेज गर्मी और लू को देखते हुए पक्षियों के पानी पीने के लिए परिंडे लगाए।

जयपुर, (का.सं.)। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने कहा कि तेज गर्मी और लू को देखते हुए पक्षियों के पानी पीने के लिए परिंडे लगाए ताकि पानी की तलाश में पक्षियों को भटकना नहीं पड़े। इनकी चहचहाट सुनने के लिए अपने आसपास के वातावरण में दाना पानी रखना होगा ताकि भोजन एवं पानी की तलाश में ये हमारे वातावरण को सुना करके ना जाए।

शासन सचिव ने जल भवन में पक्षियों के लिए लगाए 11 परिंडे के दौरान यह बात कही।साथ ही उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सभी कार्यालयों, हेड वर्क्स, पंप हाउस आदि में परिंडे एवं चुगा पात्र लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालय में परिंडे जरूर लगाना चाहिए। पक्षियों की फिक्र करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। गर्मियों में पक्षियों को पीने का पानी व चुग्गे की कमी होने के कारण इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार पशुधन को भी पानी की व्यवस्था के अभाव में भटकना पड़ता है। विभागीय स्त्रोतों/ हैडवर्क्स के पास ओवरफ्लो/ लीकेज आदि से पानी बेकार होता है, इसे भी खेली से जोड़कर इसका समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।अत: पक्षियों एवं जीव जन्तुओं के जीवन को बचाने के उद्देश्य से विभाग के समस्त कार्यालयों, पम्प हाउस, हैड वर्क्स आदि पर कार्मिकों, भामाशाह, गैर-सरकारी संगठन, आमजन आदि के सहयोग व सहभागिता से सुगम स्थानों पर वृक्षों पर पक्षियों के लिए परिंडे व चुग्गा पात्र स्वेच्छा से लगवाया जाकर पुण्य के भागीदार बनें।

डॉ शर्मा ने कहा कि पक्षियों के परिंडों में प्रतिदिन पानी एवं चुग्गा पात्र में चुग्गे की समुचित व्यवस्था स्वेच्छा से कार्मिकों द्वारा आपसी सहयोग से की जा सकती है, एवं परिंडों में प्रतिदिन पानी भरने की जिम्मेदारी स्थानीय सेवाभावी कार्मिकों को दी जा सकती है।

नेक्सा एवरग्रीन मामले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुजरात की धोलेरा सिटी में निवेश के बदले मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर कई हजार करोड़ रुपए की ठगी करने वाले आरोपी रणवीर सिंह और सुभाष चन्द्र बिजरानिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर ने यह आदेश दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता आरोपी यह कहकर फायदा नहीं उठा सकते कि उनका कुछ लोगों से राजीनामा हो गया है। रिकॉर्ड से साबित है कि याचिकाकर्ताओं ने कई लोगों से चिट फंड कंपनी के जरिए रुपए ठगे हैं। ऐसे में आरोप पत्र में लगाए आरोपों को देखते हुए उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में उनके खिलाफ सीकर के उद्योग नगर थाने में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसमें बाद में प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम प्रतिबंध अधिनियम और अनियमित जमा योजना अधिनियम के तहत भी धाराएं जोड़ी गई। याचिका में कहा गया कि उन्हें प्रकरण में फंसाया गया है। शिकायतकर्ताओं ने अपनी एफआईआर में उन्हें रुपए देने का दिन और समय की जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा उनके खिलाफ दर्ज कुछ अन्य शिकायतों में राजीनामा हो चुका है।

लोकतंत्र के महापर्व : लोकसभा चुनावों का दूसरा चरण आज

- भाजपा नेताओं का संकल्प पहले मतदान, फिर जलपान

जयपुर। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार 26 अप्रैल का होगा। मतदान के दूसरे चरण के तहत प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। भाजपा नेताओं के साथ लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा जहां आमजन से बढ़-चढ़कर मतदान करने की अपील की है, वहीं स्वयं भी पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प को चरितार्थ करेंगे।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी प्रात: 6.15 बजे सांवरिया सेठ मंदिर में दर्शन करने के बाद चित्तौड़गढ़ के मधुवन सेंथी स्थित सिद्धार्थ सामुदायिक भवन के बूथ नंबर 147 पर प्रात:7.15 बजे मतदान करेंगे। वहीं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे झालावाड़ के हाऊसिंग बोर्ड सामुदायिक भवन के बूथ नंबर 32 में प्रात:8 बजे मतदान करेंगी। राज्य सभा सांसद मदन राठौड़ पाली विधानसभा के बूथ संख्या 155 में, सांसद देवजी भाई पटेल सांचौर के बूथ संख्या 305 तथा पाली लोकसभा प्रत्याशी पीपी चौधरी बिलाडा विधानसभा के बूथ संख्या 118 में मतदान करेंगे। जालोर लोकसभा प्रत्याशी लुंबाराम चौधरी सिरोही के वाडेली में मतदान करेंगे। वहीं कोटा से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला शक्ति नगर स्थित स्प्रिंगडेल्स स्कूल में प्रात: 9 बजे तथा भीलवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल भीलवाडा के आवासन मंडल आर के कॉलोनी के बूथ संख्या 104 में मतदान करेंगे।

वहीं उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा झाग ग्राम पंचायत के बूथ संख्या 185 में प्रात: 7 बजे, सहकारिता मंत्री गौतम दक डूंगला की राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बूथ संख्या 60 में, कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी टोडा रायसिंह में बूथ संख्या 242, हीरालाल नागर कोटा के शिव ज्योति कॉन्वेंट में सुबह 7 बजे, मंत्री जोगेश्वर गर्ग बूथ संख्या 216, आहोर विधायक निम्बाहेडा श्रीचंद कृपलानी भावलिया की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बूथ संख्या 36, कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर राशमी के उच्च माध्यमिक विद्यालय के बूथ नंबर 47, कुम्भलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ बूथ आगरिया के नंबर 53 में मतदान करेंगे। वहीं भीम विधायक हरि सिंह रावत भीम के नंदावट के बूथ नंबर 53, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी राजनगर के गांधी सेवा सदन के बूथ संख्या 103 में, बारां विधायक राधेश्याम बैरवा नाकोडा कॉलोनी के मतदान केंद्र पर प्रात: 8 बज मतदान करेंगे।

उड़नदस्तों का गठन

जयपुर। जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले प्रदेश के 69 सरकारी और निजी संस्कृत महाविद्यालयों में हो रही विभिन्न परीक्षाओं में नकलचियों को पकड़ने के लिए उडनदस्तों का गठन किया गया है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. शंभु कुमार झा ने बताया कि नकलरहित परीक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के साथ ही उडनदस्तों का गठन किया गया है। नकल करने वाले परीक्षार्थियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नकल रोकने के लिए केंद्राधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं।

रिटायर आर.ए.एस. निष्काम दिवाकर व ओंकारमल दो सप्ताह में जवाब दें : सुप्रीम कोर्ट

- एकल पट्टा मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को अशोक पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी.के जरिये चुनौती दी थी
- एसएलपी में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ दर्ज केस की एफआईआर को केवल शिकायतकर्ता के राजीनामे के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता

जयपुर, (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट ने एकल पट्टा मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के 17 जनवरी 2023 के फैसले को चुनौती देने वाली एसएलपी में रिटायर आरएएस निष्काम दिवाकर व ओंकारमल सैनी को जवाब के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। साथ ही प्रार्थी को कहा है कि यदि उसे कोई रिजोइंडर देना है तो वह भी दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश अशोक पाठक की एसएलपी पर दिया। सुनवाई के दौरान दिवाकर व सैनी की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया। जिस पर अदालत ने उन्हें दो सप्ताह का समय दिया।

अदालत ने पिछली सुनवाई पर इस याचिका को राज्य के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ दायर एसएलपी के साथ संलग्न करने का निर्देश दिया था। दरअसल अशोक पाठक ने एसएलपी में हाईकोर्ट के 17 जनवरी 2023 के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के पूर्व आईएएस जीएस संधू सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने की कार्रवाई को सही माना था। मामले से जुड़े अधिवक्ता संदेश खंडेलवाल ने बताया कि एकल पट्टा मामले में पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ भी एसएलपी पेंडिंग चल रही है। इस एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट के 15 नवंबर 2022 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने एसीबी कोर्ट-4 के 18 अप्रैल 2022 के आदेश से शुरू की गई कार्रवाई रद्द कर दी थी। इसके साथ ही एसीबी कोर्ट में दायर 3 जनवरी 2022 की प्रोटेस्ट पिटिशन में होने वाली कार्रवाई व दर्ज एफआईआर भी धारीवाल की हद तक रद्द कर दी थी। एसएलपी में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ दर्ज केस की एफआईआर को केवल शिकायतकर्ता के राजीनामे के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। यह केस राज्य सरकार का केस है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है।

कार्यकाल नहीं बढ़ाने पर जवाब मांगा

जयपुर, (का.सं.)। हाईकोर्ट ने टोंक और सवाई माधोपुर के किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल नहीं बढ़ाने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश कविता सिंघल व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 22 अप्रेल, 2021 को तीन साल के लिए की गई थी। यह अवधि गत 22 अप्रेल को पूरी हो चुकी है, लेकिन प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकी। इसलिए राज्य सरकार ने कई जिलों के किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति के सदस्यों का कार्यकाल नए सदस्यों की नियुक्ति तक बढ़ा दिया। याचिका में कहा गया कि टोंक और सवाई माधोपुर के किशोर न्याय बोर्ड भी अन्य जिलों के किशोर न्याय बोर्ड की तरह न्यायिक बोर्ड है।

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

सर्व ब्राह्मण महासभा पहली बार 8 देशों में भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनायेगा

सर्व ब्राह्मण महासभा एवं अन्य सहयोगी ब्राह्मण संगठनों की ओर से गुरूवार को भगवान परशुराम जयंती के पोस्टर का विमोचन किया गया।

जयपुर (का.सं.)। सर्व ब्राह्मण महासभा एवं अन्य सहयोगी ब्राह्मण संगठनों की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह 1 मई से 15 मई तक आयोजित किया जायेगा। 15 दिवस तक चलने वाले कार्यक्रम में विभिन्न दिवसों पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे।

सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. सुरेश मिश्रा ने बताया है कि इस बार ना केवल राजस्थान और देश में वरन विश्व के 8 प्रमुख देशों में भगवान परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन होगा। ऐसा पहली बार होगा की विदेशो की धरती पर भगवान परशुराम जी की जय जयकार होगी और विभिन्न आयोजन होगें। जिसमें प्रमुख रूप से आस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड, लंदन, कनाडा, इटली, अमेरिका, बैंकांग, दुबई, कतर में परशुराम जन्मोत्सव 10 मई अक्षय तृतीया को धूमधाम से आयोजित किया जायेगा और देश की सभी राजधानियों में शस्त्र पूजन के आयोजन किये जायेंगे। साथ ही राजस्थान प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों और तहसील, गांव ढाणी स्तर तक भगवान परशुराम जन्मोत्सव के तहत विभिन्न आयोजन किये जायेंगे। भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह का विधिवत शुभारंभ 1 मई को प्रात: 9 बजे मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर में गणेश निमंत्रण के साथ होगा। इस अवसर पर जयपुर के प्रमुख संत, महंतों की उपस्थिति में एक स्टीकर का विमोचन भी किया जायेगा। 6 मई को ताड़केश्वर महादेव मंदिर चौड़ा रास्ता में 5100 दीपों से महाआरती का आयोजन होगा। 8 मई को "भगवान परशुराम जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व" विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा। जिसमें विद्वान परशुराम जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगें। 9 मई को परशुराम जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर रेलवे स्टेशन स्थित भगवान परशुराम सर्किल पर नन्हे-मुन्ने बच्चे दीप प्रज्जवलन करेंगें। 10 मई को मुख्य समारोह में भगवान परशुराम जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी साथ ही पूरे प्रदेश में परशुराम जन्मोत्सव की शोभायात्रा का आयोजन होगा।

मिश्रा ने बताया कि 10 मई को भगवान परशुराम जी का श्रृंगार पूजा अर्चना एवं महाआरती भी की जायेगी साथ ही 1 मई से 15 मई तक जयपुर, उदयपुर, टोंक, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, जोधपुर, बीकानेर, गंगापुर सिटी, अलवर, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, झुंझुनू, दौसा, गंगानगर, चूरू, सीकर, पाली, जालौर, जैसलमेर, कोटा, माउंट आबू सहित 35 जिलों एवं 180 तहसील मुख्यालयों पर विभिन्न कार्यक्रम जन्मोत्सव समारोह के अन्तर्गत आयोजित होंगे।

मिश्रा ने बताया कि 15 मई को शस्त्र एवं शास्त्र का पूजन किया जायेगा। साथ ही 12 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह के समापन पर जयपुर में "ब्राह्मण रत्न" सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है। सम्मान समारोह में समाजसेवी, पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारी, साहित्यकार, व्यवसायी, चिकित्सा, शिक्षा शास्त्री सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली लब्ध प्रतिष्ठित ब्राह्मण प्रतिभाओं को सम्मानित किया जायेगा।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्रीमती कल्पना चौहान पत्नी श्री निलेश नाथावत का मकान नं 52/38 माप 163.537 प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर का मूल अदेय प्रमाणपत्र संख्या 1108 दिनांकित 14.07.2003 की मूल प्रतिलिपि गुम हो गयी हैं। यदि किसी व्यक्ति बैंक व अन्य किसी को इस संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। इसके बाद अवधि गुजरने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
भवदीय, मनीष शर्मा एडवोकेट,9079853324

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) आमेर, जिला जयपुर
क्रमांक:- भू.अ./2024/2808 दिनांक:- 24.4.2024
-: आम सूचना :-
हर आम खास को सूचित किया जाता है कि कमला देवी पत्नि सीताराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अणी, तहसील आमेर, जिला जयपुर द्वारा अपने जीवनकाल में स्वयं की खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि, जो कि ग्राम अणी प.म. लबाना तहसील आमेर की कृषि भूमि ख.नं. 436 रकबा 0.39 हेक्टे. 644 रकबा 0.20 हेक्टे., 645 रकबा 0.03 हेक्टे., 646 रकबा 0.02 हेक्टे., 649 रकबा 0.11 हेक्टे. कुल किता 05 कुल रकबा 0.75 हेक्टे. में स्थित है, अपने हक हिस्सा सम्पूर्ण की एक वसीयतनामा प्रार्थी बलराज हरितवाल पुत्र गोविन्द नारायण हरितवाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अणी हाल निवासी ए-23, बजाज नगर जयपुर के पक्ष में दिनांक 06.07.2017 को नोटरी पब्लिक के यहां प्रमाणित करवाया गया है। चूंकि वसीयतकर्ता की 02.08.2017 को मृत्यु हो चुकी है। उक्त वसीयत के आधार पर वसीयतगृहता प्रार्थी बलराज हरितवाल पुत्र गोविन्द नारायण हरितवाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अणी हाल निवासी ए-23, बजाज नगर जयपुर के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में यदि किसी को कोई उज्र-एतराज अथवा आपत्ति हो तो, प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी 20.5.24 को न्यायालय हाजा में अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा प्रकरण का एकतरफा निस्तारण कर दिया जावेगा। सूचित रहे। यह नोटिस आज दिनांक 24.4.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया।
तहसीलदार (भू.अ.) तहसील आमेर

नाम/उपनाम/सरनेम परिवर्तन करने का बन्ध-पत्र
(नियम 8 राजस्थान सेवा नियम वित्त विभाग के आदेश सं. एफ. 1/12/एफ.डी.ई.आर. 187 दिनांक 10-04-57 की अनुपालना में)
इस बन्ध-पत्र द्वारा मैं, निम्न हस्ताक्षरकर्ता कैलाश चन्द सोनी (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व कैलाश चन्द (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो अध्यापक (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में रा.प्रा.विद्यालय गुड़ा मौकम सिंह पंचायत समिति गारवाड़ जंक्शन (पाली) राज. (स्थान जहां राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था। एतद्द्वारा: 1. स्वयं तथा मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हों, मेरे पूर्व नाम कैलाश चन्द उपनाम तथा... (सिर्फ) को त्यागता हूं तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम कैलाश चन्द सोनी ग्रहण करता हूं तथा एवं इसलिए मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व उपनाम... (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाएं बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम... द्वारा जाने जाएं। 2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूँ कि मैं एतद्पश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध-पत्रों, प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन-देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम कैलाश चन्द तथा उपनाम...(सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में कैलाश चन्द सोनी नाम के रूप में तथा... उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा। 3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दूर के बच्चों को तद्नुसार नये रखे नाम कैलाश चन्द सोनी उपनाम.. के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता हूँ। इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम कैलाश चन्द तथा कैलाश चन्द सोनी का वर्णन किया है तथा दिनांक को हस्ताक्षर किये है। हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम कैलाश चन्द सोनी द्वारा जो पूर्व में कैलाश चन्द कहलाता था, हस्ताक्षर किये हैं। कैलाश चन्द सोनी
साक्षी: 1. अशोक कुमार, व्यापयाता, हस्ताक्षर
2. राम किशोर योगी, प्राध्यापक, रा.उ.मा.वि. माधोराजपुरा
प्रतिहस्ताक्षर सगीता मटाई 20.11.2023 प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. माधोराजपुरा (राज.)।
नया नाम कैलाश चन्द सोनी
पुराना नाम कैलाश चन्द

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-946 दिनांक-25.04.2024
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना मे आवास/फ्लैट संख्या 32/369 (LIG) का आवंटन श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री घनश्याम शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3725 दिनांक 21.10.1992 को जारी किया गया था। उनके पक्ष में पंजीयन पत्रो निष्पादन दिनांक 13.10.2009 को उप पंजीयक सांगानेर-द्वितीय जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री महेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा उक्त आवास को श्री भरत कुमार शर्मा पुत्र श्री नानगराम शर्मा के नाम वसीयतनामा करवाया गया। श्री भरत कुमार शर्मा द्वारा श्री महेन्द्र कुमार शर्मा की मृत्यु दिनांक 14.01.2010 को हो जाने के कारण वसीयतनामा के आधार पर श्री भरत कुमार शर्मा द्वारा उक्त आवास को श्री रवि शर्मा पुत्र श्री भरत कुमार शर्मा को उपहार कर इनके पक्ष मे उपहार पत्र दिनांक 18.03.2013 को उप पंजीयक (द्वितीय) जयपुर मे पंजीकृत करवाया गया। क्रेता श्री रवि शर्मा पुत्र श्री भरत कुमार शर्मा द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री रवि शर्मा पुत्र श्री भरत कुमार शर्मा का नाम मण्डल रिकार्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा. मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-776 दिनांक- 09.04.2024
जाहिर आम सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर सांगानेर योजना में आवास संख्या 180/58 (EWS) (एरिया 36.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर सांगानेर का आवंटन श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2965 दिनांक 10.02.2000 एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 3061 दिनांक 26.02.2000 को जारी किया गया। श्रीमती लक्ष्मी माथुर पत्नी श्री रमेश चन्द्र माथुर के पक्ष में उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 174/1676 दिनांक 26.12.2001 के द्वारा किया गया। श्रीमती लक्ष्मी माथुर के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 04.08.2008 को उप पंजीयक सांगानेर प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये।
श्रीमती लक्ष्मी देवी माथुर द्वारा श्री प्रदीप कुमार टेवानी पुत्र श्री मूलन्द को दिनांक 04.08.2008 को मुक्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री प्रदीप कुमार टेवानी द्वारा मुक्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 02.04.2009 के द्वारा श्रीमती सुशीला शर्मा पत्नी श्री उमा शंकर शर्मा को विक्रय कर उप पंजीयक द्वितीय जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती पार्वती मिन्यानी द्वारा उक्त आवास को दिनांक 26.03.2013 के द्वारा श्रीमती राधारानी पत्नी श्री रामअवतार गुप्ता को विक्रय कर उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती राधारानी द्वारा उक्त आवास को दिनांक 09.02.2015 के द्वारा श्रीमती विमला रानी पत्नी श्री सतीश चन्द सिंघल को विक्रय कर सब रजिस्ट्रार जयपुर पंचम के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। अतः उक्त आवास/फ्लैट के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, श्रीमती विमला रानी पत्नी श्री सतीश चन्द सिंघल का नाम मण्डल रिकार्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा-प्रबंधक, वृत प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-958 दिनांक-25.04.2024
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर सांगानेर योजना मे आवेदिका श्रीमती मोहनी बाई पत्नी घनश्याम दास ने पंजीकरण राशि जमा कराकर आवास हेतु आवेदन क्रमांक 39877 के द्वारा आवेदन किया था जिसकी वरीयता क्रमांक P-5885/EWS (NEW-MIG-A/G-2/HPS/82, निर्धारित की गई थी। श्रीमती मोहनी बाई को आरक्षण पत्र क्रमांक 1016 दिनांक 20.12.1999 के द्वारा जारी किया गया था। श्रीमती मोहनी बाई की मृत्यु दिनांक 05.02.2021 को हो जाने के कारण वसीयतनामा के आधार पर श्रीमती कमलेश हासनानी पत्नी श्री वासुदेव हासनानी द्वारा उक्त पंजीकरण को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त पंजीकरण के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आ